

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::


—: कार्यालय—आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा के संलग्न सूची में उल्लेखित प्रधानाचार्य, एवं समकक्ष राउमावि एवं समकक्ष पद के अधिकारियों को सेवा नियम 1951 के उपनियम 56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:— एफ. 1(6) एफडी/ नियम/98 दिनांक:— 28.12.98, पं.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक:— 24.05.2004 एवं पं. 12(6) वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिक जो प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष के रूप में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, को उनके द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर **(सेवानिवृत्ति की तारीख)** से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में अंकित टिप्पणी के अतिरिक्त अन्य प्रधानाध्यापक राउमावि एवं समकक्ष के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक:—

01. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
02. राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
03. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं हैं।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्ति/45002/2015-16 दिनांक:-१७/०४/२०१६

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. संबंधित उपनिदेशक(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि संलग्न सूची में उल्लेखित प्रधानाध्यापक राउमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से **प्ररूप-6** के आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
03. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
04. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)कार्यालय हाजा
05. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि सेवानिवृत्ति की कार्यमुक्ति इन्द्राज शाला दर्पण में भी आवश्यक रूप से करेंगे।
06. रक्षित/निजी पंजिका


संयुक्त निदेशक—कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कर्मोंक- शिविरा/मा/संस्था/बी-2/सेनि/45002/2016-17

दिनोंक-29/4/18

क्र.स.	नाम	पोस्ट	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	गजराज सिंह	प्रधानाचार्य	राउमावि, रातूसर-चूरु	25.04.1956	30.04.16
2	सुमित्रा लावटी	प्रधानाचार्य	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान	01.08.1956	31.07.16
3	सूर्यकान्ता पंचाल	प्रधानाचार्य	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान	30.11.1956	30.11.16
4	भीजाराम बोचावत	प्रधानाचार्य	राउमावि, बगडीनगर-पाली	03.04.1956	30.04.16
5	रेणु मिश्रा	प्रधानाचार्य	राउमावि, सिहांदा-जोधपुर	13.05.1956	31.05.16
6	कैलाश चन्द्र ओझा	वरि.व्या.	डाईट, शाहपुरा, भीलवाडा	01.04.1957	31.03.17
7	मधुबाला पारीक	वरि.व्या.	डाईट, शाहपुरा, भीलवाडा	26.01.1957	31.01.17
8	कैलाश चन्द्र कटारिया	प्रधानाचार्य	डाईट, भरतपुर	04.06.1956	30.06.16
9	नारायण राम	प्रधानाचार्य	राउमावि, बडू-नागौर	14.06.1956	30.06.16
10	राधेश्याम बोहरा	प्रधानाचार्य	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, आसीन्द, भीलवाडा	03.03.1957	31.03.17
11	भगवान सहाय कुमावत	अति.जिशिअ	कार्या. जिशिअ, मा.शि., जयपुर-प्रथम	03.03.1957	31.03.17
12	नारायण राम ढाका	प्रधानाचार्य	राउमावि, दुकोसी-नागौर	20.9.1956	30.09.16

नोट:-क.सं. 8 के विरुद्ध सीसीए 18 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है



निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर